

227
2020

पत्रजली येश हूँ। अखिलता प्राची उपस्थित।
विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अखिलता
शकेयपुरी गोप्याली एवं विपक्षी सं. 3 की
ओर से ~~बैरोका~~ सरका उपस्थित। विपक्षी
संख्या 1, 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया
गया जिलेकी प्रति अखिलता प्राची को दिखाई
गई। अखिलता प्राची के निवेदन पर बहस
उभय पक्ष जुनी गयी।

अखिलता प्राची ने प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम
शिवसिंहजी का रेकॉर्ड के शता संख्या 7 में वर्णित
आश्रीयात कीता 7 रेकॉर्ड 3.97 है। प्राची एवं
विपक्षी संख्या 1 व 2 के सदस्योतदारी एक ले
दर रेकॉर्ड है, जिले विपक्षीगण 1 व 2 बिना
बदलाव कराये अन्य व्यक्ति को विक्रय, हस्तांतरण
करण चा रहे हैं अतः विपक्षीगण को तार्किकता
वार अन्वयी निवेद्याज्ञा से वाक्य कराया जावे

सहायक कलक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी
चित्तौड़गढ़

लगात

कि वादग्रस्त आराजीमत का खटवाडा कराये
 बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रीय, हस्तगत
 नकरें।

अधिवक्ता विपक्षी गण ने अपने जवाब
 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि
 कि विपक्षी 1, 2 प्राची के भाई एवं भ्राता हैं।
 विपक्षीगण खटवाडा कराने में सहमत हैं, लेकिन
 विपक्षीगण ऊपकी खातेदारी की आराजीमत
 का बिना खटवाडा कराये भी ऊपना एक
 हिस्सा विक्रीय कर सकते हैं, बाजुन उन्हें
 रोका नहीं जा सकता है। (अतः प्राची का
 प्राचीना पत्र स्वारीज करमाया जावे।)

हमने पत्राफली का अवलोकन का गहनता
 से अध्ययन किया एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता
 की बहल पर गम्भीरता से मनन किया।
 ग्राम शिवसिंह का खेडा प.ह. बडोरिया
 तहसील तिलोडगर की आराजी संख्या 15,
 16, 17, 18, 113, 114, 115. कीता न रकबा 3.97 हे
 भूमि प्राची एवं विपक्षी 1 व 2 के सहखातेदारी
 से दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीमत
 के खातेदार होने से उन्हें ऊपना एक हिस्सा
 किसी अन्य व्यक्ति को विक्रीय करने से रोका
 जाना उचित नहीं है। अतः उक्त विपक्षी
 के आधार पर प्राची का प्राचीना पत्र स्वारीज
 योग्य नहीं होने से स्वारीज किया जाता है।
 पत्राफली केवल शुमार होकर नकर ले कम
 हो एवं मूल वाद सं. 067/2020 के (आय संलग्न
 की जावे।)